रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08102021-230254
SG-DL-E-08102021-230254

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 8, 2021/ आश्विन 16, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 201
No. 288]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943	[N. C. T. D. No. 201

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2021

F.No.16/TO(S)/TC/Felling/20-21/5558-66.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, जनहित में कस्तूरबा नगर, नई दिल्ली में जी॰ पी॰ आर॰ ए॰ (चरण- I) के पुनर्विकास हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 10.1097 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से छूट प्रदान करती है।

स्थान	बचाए जाने वाले वृक्षो की संख्या	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
		प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कस्तूरबा नगर, नई दिल्ली में जी॰ पी॰ आर॰ ए॰ (चरण- I) के पुनर्विकास हेतू ।	474	632	32 (13 सूखे वृक्ष)	664	6510
Total	**474**	**632**	**32**	**664**	**6510**

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है :-

1. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 3,71,07,000 /- रूपये (तीन करोड़ इकहत्तर लाख सात हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधो की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (651 और 13 सूखे वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले वृक्षो का दस गुना) अर्थात 6510 पौधो का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देशी कीकर, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का उत्सव मार्ग, सेक्शन-34 एवं 35, रोहिणी, दिल्ली में किया जाएगा ।	6510	3,71,07,000 /-	उप– वन संरक्षक (दक्षिण) / वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा 632 वृक्षों का प्रत्यारोपण जो साइट पर खड़े है, उसी परियोजना स्थल पर अपनी स्वयं की लागत पर किया जाएगा।			

2. उपरोक्त 1 (क) व (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 6510 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी । उपभोगी संस्था द्वारा फोटोग्राफिक/ वीडियोग्राफिक साक्ष्य यथासमय उप– वन संरक्षक (दक्षिण) को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

3. 664 वृक्षो को हटाए जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 6510 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा । उपभोगी संस्था द्वारा अगले सात वर्षो तक वृक्षारोपण का रखरखाव स्वय की लागत किया जाएगा ।

4. उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि वृक्ष अधिकारी द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है ।

5. भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो ।

6. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा ।

7. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को काटने/ प्रत्यारोपण का कार्य शुरू करने से पूर्व दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची को वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा ।

8. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेंगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रस्तुत की जाएगी ।

9. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने/ प्रत्यारोपण का कार्य शुरू करने से पूर्व साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा ।

10. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा ।

11. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षो का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे तीन महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा । प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए ।

12. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा ।

13. वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है ।

14. उपभोगी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षो की कटाई/ प्रत्यारोपण से पूर्व कोई लंबित मुकदमेबाजी या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो ।

15. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटने का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा ।

16. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

17. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।

18. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) को भी दी जाएगी।

19. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

20. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण/ कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान मे 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा ।

21. उपभोगी संस्था द्वारा 32 वृक्षो को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा । 32 वृक्षो की अनुमति 632 वृक्षो के सफल प्रत्यारोपण और उप– वन संरक्षक (दक्षिण) को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी ।

22. उपभोगी संस्था द्वारा 664 वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की प्रत्यारोपण/ कटाई दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत एक अपराध होगा ।

23. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

24. यदि किसी वृक्ष में पक्षियों का घोंसला पाया जाता है, तो उस वृक्ष को घोंसला स्थानांतरित करने के पश्चात ही काटा जाएगा ।

25. उपभोगी संस्था द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा ।

यह माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 6th October, 2021

F.No.16/TO(S)/TC/Felling/20-21/5558-66.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 10.1097 ha. approx. as detailed below for redevelopment of General Pool Residential Colony (Phase-I) at Kasturba Nagar, New Delhi, from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Number of trees to be saved.	Number of trees (recommended for)			Compensatory Plantation by User Agency (Number of tree saplings)
		Transplantation	Felling	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Redevelopment of General Pool Residential Colony (Phase-I) at Kasturba Nagar, New Delhi.	474	632	32 (13 dry trees)	664	6510
Total	**474**	**632**	**32**	**664**	**6510**

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. Central Public Works Department (CPWD), herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 3,71,07,000 /- (Three Crores Seventy One Lakh Seven Thousand only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

Sl.No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for felling/ transplantation of 651 & 13 dry trees i.e number of tree saplings proposed to be of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikkar and Arjun along with other native species shall be carried out by User Agency at Utsav Marg, Section-34 & 35, Rohini, Delhi.	6510	3,71,07,000 /-	Deputy Conservator of Forests (South)/ Tree Officer
(b)	Transplantation of 632 no. of trees which are standing on site shall be done by User Agency at the same project site with their own funds.			

2. 100% Compensatory Plantation of 6510 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above. Photographic / videographic evidence in due course shall be submitted to DCF (South).
3. 6510 tree saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of removal of 664 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out thereafter, by user agency with their own funds.
4. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits).
5. Land owning agency shall ensure that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation.
6. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.
7. Detailed plantation schedule shall have to be submitted by User Agency in compliance with Section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994 before initiating felling/ transplantation.
8. User Agency shall maintain plantation journal as prescribed by Department of Forests and Wildlife, Govt. of NCT of Delhi and submit a copy of same at end of each financial year.
9. The User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation before initiating felling/ transplantation.
10. The User Agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation / transplantation site.
11. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than three months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
12. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
13. Permission for transplantation/ felling of all tress is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.
14. The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling/ transplantation of trees.

15. Before the transplantation/ felling of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
16. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
17. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
18. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (South) by User Agency.
19. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (South) by User Agency.
20. Transplantation/ felling of trees and transportation of forest produce arising threfrom to the public crematorium shall be completed within 90 days.
21. The transplantation shall be carried out prior to felling of 32 nos. of trees permitted herein. The 32 trees shall be removed/ felled after successful transplantation of 632 no. of trees and submission of compliance certificate to DCF (South).
22. Transplantation/ felling of any tree apart from 664 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
23. The progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.
24. If any tree is found to have nest of birds it should not be felled tiil the same is abandoned by the birds.
25. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

This issues with prior approval of Hon'ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.10.08 16:14:18 +05'30'